कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 3334 / पंचाकर्मी.स्था. / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2018

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 3640 (ए)/पंग्राविवि/22/2008 दिनांक 29.08.2008 एवं पत्र क्रमांक/पंचा./1092/पंग्राविवि/22/2015/162 दिनांक 16.04.2015 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 1837 दिनांक 28.08.2017 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण उपरांत पंचायत कर्मी नियुक्ति हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों/निर्देशों के तहत नीचे दर्शित सारिणी के कालम (2) में अंकित चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने सारिणी के कालम (6) में उल्लेखित जनपद पंचायत अंतर्गत कालम (7) में दर्शित ग्राम पंचायत के लिये वेतनमान 3500–10000 + ग्रेड पे 1100.00 प्रतिमाह तथा शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को समय समय पर देय मंहगाई भत्ता पर अस्थाई रूप से 2 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर ग्राम पंचायत सचिव के पद पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त कर पदस्थ किया जाता हैं :–

–:: सारिणी ::–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थल	
					जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मानस कुमार देशमुख	श्री गणेश राम देशमुख	ग्राम जीर्राटोला, पो. डुमरटोला, तह. मोहला जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	राजनांदगांव	भाठागांव
2	श्री तिलक राम साहू	श्री गरीब दास साहू	ग्राम कुदुरघोड़ा, पो. कौडीकसा, तह. चौकी जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	राजनांदगांव	खपरीकला
3	श्री विजय कुमार वर्मा	श्री बाबूलाल वर्मा	ग्राम भैंसातरा, पो. भैसातरा तह.व जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	राजनांदगांव	अमलीडीह
4	श्रीमती भुनेश्वरी वर्मा	श्री अर्जुन लाल वर्मा	ग्राम घोघेडबरी पो. चिचोला तह खैरागढ़ जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	खैरागढ़	मदनपुर
5	श्रीमती साकेत देवांगन	श्री ललित कुमार देवांगन	ग्राम पलान्दुर पो. ककईपार तह मोहला जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	मोहला	सोमाटोला
6	श्रीमती उषा साहू	श्री शीतलेश कुमार साहू	ग्राम व पोष्ट सिंघोला तह व जिला राजनांदगांव	अनारक्षित	राजनांदगांव	काकेतरा
7	श्री रोशन लाल साहू	श्री मिथलेश कुमार साहू	ग्राम घावडेटोला, पो. गोटाटोला तह. मोहला जिला राजनांदगांव	अनारक्षित (निःशक्त)	मानपुर	मुरारगोटा
8	श्री मनोहर राम चंदेल	श्री पुनूराम चंदेल	ग्राम कोहलाटोला पो. [illegible]	अ.पि.वर्ग	छुईखदान	कुटेलीखुर्द

9	श्रीमती नेमिन वर्मा	श्री भुवन दास वर्मा	ग्राम नागतराई पो. जटकन्हार तह. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	अ.पि.वर्ग	डोंगरगढ़	बिजनापुर
10	श्री टुम्मन लाल जांगड़े	स्व. श्री छत्तरदास जांगडे	ग्राम व पो. शिकारीमहका तह छुरिया जिला राजनांदगांव	अ.जा.	छुरिया	भंडारीभरदा
11	श्री टेटकूराम घावडे	श्री नानूराम घावडे	ग्राम महका पो. सीतागांव तह मानपुर जिला राजनांदगांव	अ.ज.जा.	डोंगरगांव	करमतरा
12	श्री केशवराम नेताम	श्री रघुनाथ नेताम	ग्राम खूबाटोला पो. लाल बहादुर नगर तह. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	अ.ज.जा.	डोंगरगांव	बाकल
13	श्री समारू राम भंडारी	श्री मेहत्तर सिग भंडारी	ग्राम व पो. ककईपार तह. मोहला जिला राजनांदगांव	अ.ज.जा.	डोंगरगढ़	नारायणगढ़
14	श्रीमती जैवन्ती टेकाम	श्री शोबीराम	ग्राम व पो. कुम्हारी तह मानपुर जिला राजनांदगांव	अ.ज.जा.	मानपुर	ईरागांव

सेवा शर्ते :-

1. संबंधित उम्मीदवार को आदेश जारी होने के दिनांक के 30 दिन के अंदर अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव द्वारा जारी सेवा के योग्य होने विषयक चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देना होगा। निर्धारित समयावधि के अंदर उपस्थिति नहीं देने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अद्यतन निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा राजनांदगांव जिले का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. कार्य व्यवहार के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये गोपनीय प्रतिवेदन लिखी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो संबंधित की परीविक्षा अवधि समाप्त न की जाकर परीविक्षा अवधि में वृद्धि की जावेगी अथवा उनकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
4. पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन के पश्चात ही सेवायें निरंतर की जा सकेगी। किसी प्रकार के चरित्र संबंधी विपरीत टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति बिना कारण बताये तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।
5. उपस्थिति के समय संबंधित को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह सार्वजनिक रूप से अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन करते समय कोई मादकपेय/मद्यपान/ शासन/राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करेगा तथा किसी राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

6. जिला पंचायत द्वारा चयनित उम्मीदवार के उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा विहित किये गये अधिकारी के द्वारा की जाएगी। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पंचायत सचिवों के लिए संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं में इनको प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत सचिव को निर्धारित अवधि तक भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव

पृ.क्रमांक/3338/पंचाकर्मी.स्था./2018
राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक पंचायत संचालनालय, छ.ग. इंद्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर्व जिला राजनांदगावं को सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। नियुक्त पंचायत सचिवों के कार्यभार ग्रहण किये की सूचना उनके कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त ई-मेल से तथा विशेष वाहक से इस कार्यालय को प्रेषित करें।
8. वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत सर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. लेखा शाखा, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कु./श्री/श्रीमती...पता...

.... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव